

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 589-पीबीआर/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 16-2-2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 5/2014-15/अपील.

खेमसिंह पुत्र लालाराम कुशवाह
निवासी ग्राम गिरवाई
लशकर, ग्वालियर

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1- मध्यप्रदेश शासन
- 2- अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर

.....अनावेदकगण


श्री के०के०द्विवेदी, अभिभाषक आवेदक
श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/4/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-2-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-10-2014 के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/2014-15/अपील दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक की ओर से व्यवहार न्यायालय प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 एवं संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 3-10-15 से स्वीकार किया गया । तत्पश्चात् आवेदक द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 18 के अन्तर्गत संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 16-2-16 को आदेश पारित कर



आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया गया था, तब व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 18 का आवेदन पत्र स्वीकार करना था, परन्तु उक्त आवेदन पत्र निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वैधानिक एवं उचित आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को आदेश दिनांक 3-10-05 से स्वीकार किया गया है, परन्तु अपील में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी गई है जो कि अन्यायपूर्ण कार्यवाही है, कारण जब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में संशोधन किये जाने संबंधी आवेदन पत्र स्वीकार किया गया था, तब उन्हें संशोधन की अनुमति देना चाहिये थी । अतः इस प्रकरण में यह न्यायिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर उन्हें निर्देश दिये जाये कि वे आवेदक को प्रकरण में संशोधन करने का अवसर प्रदान करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-2-2016 निरस्त किया जाता । प्रकरण उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।



(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर